परिवहन विभाग, उत्तरांचल

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय पौड़ी

मैनुअल संख्या–3

निर्णय लेने की प्रक्रिया

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय पौड़ी

मैनुअल संख्या–3

निर्णय लेने की प्रक्रिया

मोटरयानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन

चालन अनुज्ञप्ति जारी करना – मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–9 के उपबन्धों के अधीन चालन अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा वाहन चालकों को निर्धारित शुल्क एवं टैस्ट लेकर जारी की जाती है। अनुज्ञप्ति जारी करने का अधिकार सम्भागीय परिवहन अधिकारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को है, तथा उपरोक्त अधिकारियों के द्वारा कार्यालय में तैनात सम्भागीय निरीक्षक(प्राविधिक) एवं सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को भी अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

चालन अनुज्ञप्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले आवेदकों को ही जारी की जाती है, किन्तु अभिभावकों की लिखित सहमति पर 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके आवेदकों को बिना गियर वाली दो पहिया वाहन चलाये जाने हेतु भी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालन अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है। परिवहन यान चलाने के लिये न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष है।

शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति – शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदक को कार्यालय में स्थापित समूल्य फार्म बिक्री पटल से केन्द्रीय मोटरयान नियमावली द्वारा निर्धारित फार्म–1 एवं फार्म–2 प्राप्त कर। फार्म–1 पर शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की एवं फार्म–2 पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परिवहन यान चलाने के लिये चालन अनुज्ञप्ति के इच्छुक आवेदक को फार्म–1 एवं फार्म–2, फार्म–1–क पर सक्षम चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परिवहन यान चलाने की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति उसी व्यक्ति को दी जायेगी जिसके पास कम–से–कम एक वर्ष तक की अवधि के लिये हल्का मोटरयान चलाने की अनुज्ञप्ति हो।

शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–2 में किया जायेगा उसके साथ निम्न सलंग्न होंगे :–

(क) आयु एवं पता सही होने का प्रमाण।
(ख) शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की घोषणा फार्म–1 में।
(ग) परिवहन यान चलाने की दशा में चिकित्सा प्रमाण पत्र फार्म–1–क में।
(घ) आवेदक के हाल की पासपोर्ट आकार की तीन फोटो प्रतियां।
(ङ) फीस रू0 30.00
(च) परिवहन यान के लिये आवेदन की दशा में आवेदक द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति।

कार्यालय द्वारा प्रपत्रों की जांच करने के उपरान्त निर्धारित शुल्क जमा होने पर आवेदक की लिखित परीक्षा ली जायेगी। आवेदक द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर फार्म संख्या–3 पर अनुज्ञप्ति उसे दूसरे दिन उपलब्ध करायी जा सकती है।

चालन अनुज्ञप्ति – शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि के एक माह पश्चात चालन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवेदक द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली द्वारा निर्धारित फार्म–4 कार्यालय में समूल्य फार्म बिक्री पटल से प्राप्त कर उसे भरकर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति सहित अनुज्ञप्ति शाखा पटल पर प्रस्तुत करना चाहिये।

चालन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन फार्म–4 में किया जायेगा। उसके साथ निम्नलिखित होंगे :–

(क) आवेदन से सम्बन्धित यान को चलाने हेतु प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति
(ख) फीसः
  (1) चालन सक्षमता परीक्षण हेतु रू0 50.00
  (2) चालन अनुज्ञप्ति यदि फार्म–6 जारी की जानी है रू0 40.00
  (3) चालन अनुज्ञप्ति यदि लेमिनेटिड कार्ड में जारी की जानी है रू0 200.00
(ग) आवेदक के पास पोर्ट आकार की 3 नवीनतम फोटो।
(घ) नियम–6 में दिये गये उपबन्धों के सिवाय परिवहन यान के सम्बन्ध में चिकित्सा प्रमाणपत्र फार्म–1–क में।
(ङ) ड्राईविंग स्कूल जहां आवेदक ने अनुदेश प्राप्त किया हो, द्वारा जारी किया गया चालन प्रमाणपत्र।

आवेदन पत्र की जांच करने के उपरान्त निर्धारित शुल्क जमा होने पर आवेदक से कार्यालय में निर्धारित स्थान एवं समय पर चालन परीक्षण देने के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी और केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–15 में दिये गये प्राविधानों के अंतर्गत आवेदक का चालन परीक्षण लिया जायेगा। आवेदक के चालन परीक्षण में उत्तीर्ण होने पर यथास्थिति निर्धारित फार्म–6 या 7 पर अनुज्ञप्ति तैयार कर दूसरे दिन आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी। परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल के कार्यालय ज्ञाप

संख्या–438/सा0प्र0/6–63/2004 दिनांक 16–06–2004 के अनुपालन में चालन अनुज्ञप्ति आवेदकों को उनसे स्वयं पता लिखित पंजीकृत लिफाफा प्राप्त कर डाक से प्रषित किये जा रहे हैं।

चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन (अन्य वर्ग के मोटरयान का जोड़ा जाना) – आवेदक की चालन अनुज्ञप्ति में निर्धारित वर्ग के वाहन के चलाने के अतिरिक्त अन्य वर्ग की वाहन को चलाने हेतु अधिकृत किये जाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन कराया जाता है।

चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन के लिये आवेदन केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–8 में किया जाता है। इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे :–

(क) आवेदक द्वारा धारित प्रभावी शिक्षार्थी या चालन अनुज्ञप्ति।
(ख) परिवहन यान के वर्ग को बढ़ाने हेतु आवेदन की दशा में फार्म–5 से चालन प्रमाणपत्र।
(ग) फीस :–
  (1) फार्म–6 में नये वर्ग के मोटरयान को जोड़ना रू0 50.00
  (2) लेमिनेटिड कार्ड से नये वर्ग के मोटरयान को जोड़ना रू0 200.00।

आवेदन पत्र की जांच करने के उपरान्त निर्धारित शुल्क जमा होने पर आवेदक से कार्यालय में निर्धारित स्थान एवं समय पर चालन परीक्षण देने हेतु उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी और केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–15 में दिये गये प्राविधानों के अंतर्गत आवेदक का चालन परीक्षण लिया जायेगा। आवेदक के चालन परीक्षण में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल अनुज्ञप्ति पर ऐसे अन्य वर्ग के मोटरयान की प्रविष्टि कर उसे दूसरे दिन आवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा।

चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण – परिवहन से भिन्न वाहन चालकों को, चालन अनुज्ञप्ति जारी होने या नवीकरण की तिथि से 20 वर्ष की अवधि के लिये या 50 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिये जारी की जाती है। व्यवसायिक वाहनों के वाहन चालकों के लिये चालन अनुज्ञप्ति तीन वर्ष की अवधि हेतु जारी होती है। खतरनाक माल के परिवहन के लिये चालन अनुज्ञप्ति एक वर्ष के लिए जारी की जाती है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन फार्म–9 में किया जायेगा।

चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र–9 में किया जायेगा। उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे :–

(क) मूल चालन अनुज्ञप्ति ।
(ख) फार्म–6 में नवीकरण की दशा में आवेदक की पासपोर्ट साईज की 3 नवीनतम फोटो।
(ग) फार्म 1–क में चिकित्सा प्रमाणपत्र।
(घ) फीस :
(1) फार्म–6 में नवीकरण रू0 50.00
(2) लेमिनेटिड कार्ड में नवीकरण रू0 200.00

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्नकों का परीक्षण करने के उपरान्त निर्धारित शुल्क जमा होने पर कार्यालय अभिलेखों एवं चालन अनुज्ञप्ति में प्रविष्टि कर चालन अनुज्ञप्ति आवेदक को दूसरे दिन उपलब्ध करायी जायेगी।

अन्तराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (केन्द्रीय मो0या0 नियमावली–14(2) – अन्तराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट हेतु चालन अनुज्ञप्ति द्वारा फार्म–4ए पर आवेदन पत्र अनुज्ञापन शाखा में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज सलंग्न होंगे :–

(क) विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति।
(ख) आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साईज की तीन फोटो।
(ग) फार्म 1–क में चिकित्सा प्रमाणपत्र।
(घ) भारत के नागरिक होने का मान्य प्रमाण।
(ङ) पासपोर्ट का मान्य प्रमाण।
(च) वीजा का मान्य प्रमाण।
(छ) विनिदिष्ट फीस।

आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं सलंग्नकों का अनुज्ञापन सहायक द्वारा जांचोपरान्त आवेदन पत्र पर शुल्क लिखकर जमा कराने हेतु कैश शाखा में प्रेषित किया जायेगा। कैश शाखा से आवेदन पत्र अनुज्ञापन शाखा में वापिस आने पर अनुज्ञापन सहायक द्वारा अंतराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी किये जाने हेतु आवश्यक आख्या एवं टिप्पणी सहित पत्रावली सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के समक्ष आदेश हेतु प्रस्तुत की जायेगी। सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा आवेदक को अपने समक्ष बुलाकर मौखिक परीक्षण कर पत्रावली पर आवश्यक आदेश पारित करने के उपरान्त पत्रावली अनुज्ञापन शाखा में वापिस भेज दी जायगी। ड्राइविंग परमिट जारी किये जाने हेतु आदेश प्राप्त होने के पश्चात अनुज्ञापन सहायक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर आवेदक को दिया जायेगा।

चालन अनुज्ञप्ति धारण करने से निरहित करना या उसे वापस लेना – यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाही का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि चालन अनुज्ञप्ति धारक –

(क) अभ्यासिक अपराधी या अभ्यासिक शराबी है, या

(ख) नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स एक्ट, 1985 के अर्थ में किसी नारकोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स का अभ्यासिक व्यसनी है, या

(ग) किसी संगीन अपराध करने में मोटरयान का उपयोग कर चुका हो या कर रहा हो या

(घ) किसी मोटर यान के ड्राइवर के रूप में अपने पूर्वाचरण से यह प्रदर्शित कर चुका है कि उसके यान चलाने से जनता को खतरा हो सकता है, या

(ङ) उसने कपट से गलत तथ्य प्रस्तुत कर चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त की हो, या

(च) उसने जनता के लिये न्यूसेन्स या खतरा वाले निम्नलिखित कार्यों को किया होः–

(1) मोटरयान की चोरी ;

(2) यात्रियों पर हमला ;

(3) यात्रियों के वैयक्तिक सामान की चोरी ;

(4) माल वाहन में ले जाये जाने वाले माल की चोरी ;

(5) विधि अधीन प्रतिषिद्ध माल का परिवहन ;

(6) परिवहन यान चलाते समय एकाग्रता में विघ्न पड़ने वाले कार्य कलाप में लगना ;

(7) यात्रियों का अपहरण ;

(8) माल वाहन में अधिक माल ले जाना ;

(9) विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक गति पर चलाना ;

(10) माल वाहन में व्यक्तियों को ले जाना या ड्राइवर के केबन में उसकी क्षमता से अधिक व्यक्तियों को ले जाना ;

(11) धारा–134 के उपबन्धों का अनुपालन न करना ;

(12) किसी व्यक्ति द्वारा, जो ऐसा करने के लिये प्राधिकृत हो, संकेत दिये जाने पर न रोकना ;

(13) यात्रियों, आशयित यात्रियों या माल के परेषकों और परेषितियों के साथ दुर्व्यवहार करना;

(14) सार्वजनिक सेवा यानों को चलाते समय धूम्रपान करना ;

(15) किसी सार्वजनिक स्थान पर यान को इस प्रकार छोड़ देना कि सड़क का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों या यान के यात्रियों को असुविधा हो ;

(16) मदिरा या मादक द्रव्य के प्रभाव में रहते हुये चलाना ;

(17) किसी अन्य यान पर चढ़े हुये या चढ़ने की तैयारी करते हुये किसी व्यक्ति को बाधा डालना ;

(18) किसी व्यक्ति को इस प्रकार बैठने देना या किसी वस्तु को इस प्रकार रखने देना कि ड्राइवर को सड़क को स्पष्ट रूप में देखने में या यान का उचित नियंत्रण रखने में बाधा पड़े ;

(19) मंजिली गाड़ी को रूकने के अनुमोदित स्थान पर कण्डक्टर या यात्री की मांग पर न रोकना या किसी इच्छुक यात्री की मांग पर गाड़ी में स्थान उपलब्ध होने पर यान को न रोकना ;
(20) यान की समय सारिणी के अनुसार यान न चलाना ;
(21) ठेका गाड़ी को किसी सन्तोषजनक कारण के बिना लघुतम मार्ग से न ले जाना;
(22) किसी मोटर कैव के ड्राइवर द्वारा विधिक रूप से अनुमन्य किराया से अधिक किराया की मांग करना ;

(छ) धारा–22 की उपधारा (3) के परन्तुक में विनिदिष्ट परीक्षणों में बैठने में असफल या अनुत्तीर्ण रहना या

(ज) अट्ठारह वर्ष से कम आयु का ऐसा व्यक्ति जो अब उस व्यक्ति की देखभाल मे नहीं है जिसने उसे अनुमति दी थी तो ऐसा अनुज्ञापन प्राधिकारी उन कारणों को लिपिवद्ध करते हुये ऐसे व्यक्ति की चालन अनुज्ञप्ति को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये निर्हित कर सकता है या किसी ऐसी अनुज्ञप्ति को वापस ले सकता है।

चालन अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकन – किसी अनुज्ञप्ति के धारक के निम्न विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिये, सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय ऐसे सिद्धदोष की विशिष्टियां चालन अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकित करेगा/करायेगा :–

(क) अनुज्ञप्ति के बिना या प्रभावी अनुज्ञप्ति के बिना यान चलाना (धारा–3) ;
(ख) अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति का प्रयोग करने देना (धारा–6(2)) ;
(ग) निर्हित होते हुये यान चलाना (धारा–23) ;
(घ) किसी अरजिस्ट्रीकृत यान को चलाना (धारा–39) ;
(ङ) ऐसे परिवहन यान को चलाना जो योग्यता प्रमाणपत्रों के अन्तर्गत नहीं है (धारा–56);
(च) धारा–66 के उल्लंघन में परिवहन यान को चलाना ;
(छ) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–118 के उल्लंघन में चलाना ;
(ज) धारा–114 के उपबन्धों का अनुपालन न करना ;
(झ) अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिये, विनिर्दिष्ट समय के भीतर
इन्कार करना या उनमें असफल रहना ;
(त्र.) यान को न रोकना (धारा–132) ;
(ट) पृष्ठांकन की विशिष्टियां दिये बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त करना या उसके लिये आवेदन करना (धारा–182) ;
(ठ) अत्यधिक गति से यान चलाना (धारा–183) ;
(ड) खतरनाक रूप से चलाना (धारा–184) ;
(ढ) मादक द्रव्यों के असर में होते हुये मोटरयान चलाना (धारा–185) ;
(ण) मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते मोटरयान चलाना (धारा–186) ;
(त) धारा–183 या 186 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करना ;
(थ) धारा–188 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का दुष्प्रेरण करना ;

(द) अप्राधिकृत दौड़ या गति के परीक्षण में भाग लेना ;
(ध) किसी यान का असुरक्षित दशा में उपयोग करना (धारा–190) ;
(न) अनुज्ञेय सीमा से अधिक भार वाले यान को चलाना (धारा–194) ;
(प) किसी अनुज्ञप्ति में परिवर्तन करना या परिवर्तित अनुज्ञप्ति का उपयोग करना ;
(फ) कारावास के दण्ड से दण्डनीय कोई अपराध जिसके करने में मोटरयान का उपयोग किया गया था।

चालन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करना – चालक अनुज्ञप्ति खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना धारक तत्काल प्रपत्र एस0आर0–1 में उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसने उसे जारी/अंतिम नवीकरण किया था और अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे, जिसमें आवेदक से उस कें खो जाने के संबंध में शपथपत्र मांगना भी सम्मिलित है, के पश्चात दूसरी प्रति नियमानुसार जारी कर सकेगा। इसी प्रकार किसी फटी या विरूपित अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति भी जारी की जा सकती है।

चालन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने की फीस फार्म–6 के लिये रू0 50.00 एवं लेमिनेटिड कार्ड के लिये रू0 200.00 है।

मंजिली गाड़ियों के कण्डक्टरों का अनुज्ञापन

कण्डक्टर अनुज्ञप्ति जारी करना – मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–30 के उपबन्धों के अधीन मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर की अनुज्ञप्ति निर्धारित फीस लेकर सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)/सहायक सम्भागीय निरीक्षक(प्राविधिक) द्वारा जारी की जाती है।

कण्डक्टर अनुज्ञप्ति – कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसकी न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता हाई स्कूल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो, और कण्डक्टर के रूप में कार्य करने के लिये शारीरिक रूप से स्वस्थ हो कण्डक्टर अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन कर सकता है। कण्डक्टर अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रपत्र एस0आर0–6, प्रपत्र संख्या–7 में चिकित्सा प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन का परीक्षण करने के उपरान्त निर्धारित शुल्क जमा होने पर प्रपत्र एस0आर0–5 में कण्डक्टर अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र प्राप्त होने के दूसरे दिन आवेदक को दे दी जायेगी

कण्डक्टर अनुज्ञप्ति की फीस ड्राइविंग लाइसेंस फीस की आधी है।

मोटरयानों का रजिस्ट्रीकरण

मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण की प्रकिया – किसी मोटरयान को किसी सार्वजनिक स्थान में चलाने के लिये मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–39 के उपबन्धों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को है, तथा उनके द्वारा सम्भागीय निरीक्षक(प्राविधिक)/सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्रदत्त किये जा सकते हैं।

मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण – प्रत्येक मोटरयान का स्वामी यान को उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से रजिस्ट्रीकृत्त करायेगा, जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान या कारोबार का स्थान है और जहां यान आमतौर पर रखा जाता है। मोटरयान रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन, यान की डिलीवरी लेने के समय के 7 दिन के भीतर फार्म–20 में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को किया जायेगा उसके साथ निम्नलिखित सलंग्न होंगे :–

(क) विक्रय प्रमाणपत्र फार्म–21।
(ख) विधिमान्य बीमा प्रमाणपत्र।
(ग) ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर मामले में परिवहन आयुक्त की कार्यवाही की प्रति।
(घ) सेना के भूतपूर्व यान की दशा में सम्बन्धित प्राधिकारियों से फार्म–21 में मूल विक्रय प्रमाणपत्र।
(ङ) पता का प्रमाण।
(च) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण यदि कोई हो।
(छ) फार्म–22 के निर्माता एवं फार्म–22–ए में यान का ढांचा बनाने वाले से सड़क उपयुक्तता का प्रमाणपत्र।
(ज) आयातित यानों की दशा में अनुज्ञप्ति एवं बन्ध पत्र एवं सीमा शुल्क निकासी।
(झ) फीस :–

(1)	अशक्त वाहन की दशा में	रू0 20.00
(2)	मोटर साइकिल	रू0 60.00
(3)	हल्का मोटर यान	
	(अ) परिवहन यान से भिन्न	रू0 200.00
	(ब) परिवहन यान	रू0 300.00
(4)	मध्यम यात्री/ मध्यम माल वाहन	रू0 400.00
(5)	भारी यात्री/माल वाहन	रू0 600.00
(6)	आयातित मोटर यान	रू0 800.00
(7)	आयातित मोटर साइकिल	रू0 200.00
(8)	उपरोक्त से भिन्न कोई मोटर यान	रू0 300.00

आवेदक द्वारा प्रपत्र–20 पर चेसिस छाप लेकर कार्यालय में यथास्थिति सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)/सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) से सत्यापन के उपरान्त समस्त उल्लिखित प्रपत्रों सहित आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुत कागज पत्रों का निरीक्षणोपरान्त रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के आदेश प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सम्बन्धित यान के कार्यालय अभिलेख पूर्ण कर यान की रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र फार्म–23 में आवेदक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दो दिन के भीतर उपलब्ध करा दी जायेगी।

ऐसे वाहन जो अन्य जनपद या अन्य राज्य से क्रय किया गया हो तो उसके रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व वाहन के विक्रय पत्र, अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाता है। इसके लिए आवेदक को अपने आवेदन के साथ तीन रजिस्ट्री लिफाफे, समस्त प्रपत्रों की दो–दो छाया प्रतियां उपलब्ध कराना आवश्यक है। सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् ही वाहन का रजिस्ट्रीकरण कराया जाता है।

परिवहन यान के रजिस्ट्रीकरण हेतु यान का ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 के नियम–39(1) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष प्रपत्र एस0आर0–12 में आवेदन किया जायेगा। प्रपत्रों का निरीक्षणोपरान्त आवेदक द्वारा निर्धारित फिटनेस शुल्क जमा करने पर यथास्थिति निरीक्षक द्वारा वाहन का निरीक्षण कर वाहन के ठीक हालत में होने की आख्या अंकित की जायेगी। जिसको फिटनेस सीरियल रजिस्टर में सीरियल की जायेगी। रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त परमिट प्राप्ति की सूचना आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये जाने के पश्चात परिवहन यान की रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को आवेदक को उसके द्वारा दिये गये पते पर रजिस्ट्री डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी। 'यान के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र' फार्म–38 में जारी किया जायेगा। 'ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र' का नवीकरण करने के लिये भी आवेदन प्रपत्र–एस0आर0–12 में किया जायेगा और उसका नवीकरण केन्द्रीय नियमावली के नियम–62 में दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट जांचों को करने के पश्चात ही किया जायेगा।

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण – ऐसे मोटरयान का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण जिनका अन्य सम्भाग या अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत कराया जाना है या यान के चेसिस पर बॉडी बनाये जानी है के लिये

जारी किया जाता हैं। अस्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक के द्वारा प्रपत्र–एस0आर–17 पर आवेदन रजिस्ट्रकर्ता प्राधिकारी के समक्ष, उस पर चेसिस छाप कर, उसे यथास्थिति सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) या सहायक सम्भागीय निरीक्षक(प्राविधिक) से सत्यापन कराकर, प्रस्तुत किया जायेगा।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांचोपरान्त आवेदक द्वारा निर्धारित रजिस्ट्रकरण शुल्क एवं कर जमा करने पर प्रपत्र एस0आर0–18 पर अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसी दिन आवेदक को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

मोटर यान के स्वामित्व का अन्तरण – जहां किसी मोटरयान के स्वामित्व का अन्तरण किया जाना है वहां अन्तरक (Transferor) ऐसे अन्तरण की सूचना फार्म–29 में उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा जिसकी अधिकारिता में अन्तरक एवं अन्तरती (Transferee) निवास करते हैं या उनके कारबार का स्थान है।

मोटरयान के स्वामित्व अन्तरण के लिये आवेदन फार्म–30 में अन्तरती द्वारा किया जायेगा और उसके साथ निम्न सलंग्न होंगे :–

(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;
(2) बीमा प्रमाणपत्र ;
(3) फीस : रजिस्ट्रीकरण फीस का आधा ;

राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत यान की दशा में उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज सलंग्न किया जायेगा :–

(क) धारा–48 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र, या
(ख) ऐसा अनापत्ति प्रमाणपत्र देने से इन्कार करने वाला रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का आदेश, या
(ग) यदि उपरोक्त प्राप्त नहीं हुआ है तो वहां अन्तरक की इस आशय की घोषणा की उसे ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, साथ ही –
  (i) धारा–48 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त रसीद अथवा,
  (ii) जहां अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन डाक से भेजा गया है वहां रजिस्ट्रीर्ता प्राधिकारी से डाक पावती की रसीद।

उपरोक्तानुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात आवेदन विक्रय पत्र सहित किया जायेगा। आवेदन की जांचोपरान्त, यान की कार्यालय पत्रावली से विक्रेता के हस्ताक्षर एवं

फोटो का सत्यापन करने के उपरान्त निर्धारित शुल्क जमा होने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में यान के अन्तरण सम्बन्धी प्रविष्टि अंकित करने के उपरान्त दो दिन पश्चात आवेदक को उपलब्ध कराये जायेंगे। अन्य सम्भाग/अन्य राज्य की यानों के अन्तरण की उपरोक्त प्रक्रिया में आवेदक द्वारा सलंग्नक मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अनापात्ति प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्यालय स्तर पर किया जाता है। सत्यापन होने की अवधि हेतु प्रपत्र कार्यालय में जमा कर आवेदक को तीस दिन का अस्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र का सत्यापन प्राप्त हाने के पश्चात ही उपरोक्तानुसार अन्तरण सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

यान स्वामी की मृत्यु के उपरान्त स्वामित्व का अन्तरण – यान स्वामी की मृत्यु हो जाने पर यान का कब्जा लेने वाला व्यक्ति यान के स्वामी की मृत्यु की सूचना तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देकर तीन मास के अवधि तक यान का प्रयोग कर सकता है।

ऐसे स्वामी द्वारा ऐसे तीन मास की भीतर ऐसे यान का स्वामित्व अपने नाम में अन्तरण के लिये रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को फार्म–31 में आवेदन किया जायेगा जिसके साथ निम्नलिखित सलंग्न हों :–

(1) रजिस्ट्रीकृत स्वामी से सम्बन्ध मृत्यु प्रमाणपत्र ;
(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;
(3) बीमा प्रमाणपत्र ;
(4) फीस – रजिस्ट्रीकरण फीस का आधा ;
(5) जिलाधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की प्रति ;
(6) अन्य आश्रितों का अनापत्ति प्रमाणपत्र शपथ पत्र के रूप में ;

तद्पश्चात वाहन के अन्तरण के लिये पूर्व मे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार वाहन का स्वामित्व अन्तरित किया जायेगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण – परिवहन यान से भिन्न किसी मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता जारी होने की तिथि से 15 वर्ष तक है। इसके उपरान्त प्रति 5 वर्ष की अवधि पर उसका नवीकरण कराया जाना अनिवार्य है। वाहन के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु वाहन निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करने के साथ–साथ फार्म–25 पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की विधिमान्यता की अवधि समाप्ति के 60 दिन पूर्व आवेदन किया जा

सकता है। आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र पर चेसिस छाप सत्यापन कराकर आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रस्तुत आवेदन पत्र का निरीक्षण के उपरान्त आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद रजिस्ट्रकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की प्रविष्टि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अंकित कर आवेदन प्राप्ति के दूसरे दिन आवेदक को दे दी जायेगी।

मोटरयान के भाड़ा क्रय करार का पृष्ठांकन/समाप्ति रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में करना– किसी मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में किसी भाड़ा क्रय या पट्टे या आडमान की प्रविष्टि अंकित करने के लिये आवेदन फार्म–34 में तथा भाड़ा क्रय, पट्टे या आडमान के किसी करार की समाप्ति की प्रविष्टि के किये आवेदन फार्म–35 में प्रस्तुत किये जायेंगे ।

कार्यालय द्वारा प्रपत्रों का निरीक्षण करने के उपरान्त आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद आवेदक के हस्ताक्षरों का मिलान करने के पश्चात् यथास्थिति मोटरयान के भाड़ा क्रय, पट्टे या आडमान की प्रविष्टि अंकित करने या प्रविष्टि समाप्त करने की प्रविष्टि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में करके आवेदन प्राप्ति के दूसरे दिन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आवेदक को लौटा दिया जायेगा।

नीलामी में सार्वजनिक क्रय किये यान के स्वामित्व का अन्तरण – केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गयी नीलामी में अर्जित या क्रय किये गये मोटरयान का स्वामी कब्जा लेने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को फार्म–32 में निम्नलिखित के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा :–

(1) मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण पत्र ;
(2) अपने नाम में यान विक्रय की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र जिस पर नीलामी करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हों ;
(3) यान की नीलामी प्राधिकृत करने वाली केन्द्रीय/राज्य सरकार के आदेश की प्रति ;
(4) फीस – रजिस्ट्रीकरण फीस का आधा ;

तद्पश्चात आवेदक द्वारा सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0)/सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) से वाहन का निरीक्षण एवं चेसिस फार्म–32 पर छाप सत्यापित कराकर कार्यालय में दिया जायेगा।

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का निरीक्षण करने के उपरान्त आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद वाहन के रजिस्ट्रीकरण/स्वामित्व के अन्तरण संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आवेदन प्राप्ति के दूसरे दिन तक आवेदक को दिये जायेंगे।

अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना – कार्यालय में पंजीकृत किसी भी मोटरयान को अन्य राज्य/अन्य सम्भाग में हस्तान्तरण कराये जाने के लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष जिसके द्वारा यान का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो फार्म–28 में किया जायेगा। उसके साथ निम्नलिखित सलंग्न होंगे :–

(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति ;
(2) बीमा प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति ;
(3) मोटरयान कर के अध्यतन (Up-to-date) संदाय का साक्ष्य ;
(4) यदि किसी समयावधि के लिये कोई कर देय नहीं है तो कर अधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र ;

किसी परिवहन यान के संबंध में उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(क) प्रश्नगत यान किसी परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किसी परमिट के अंतर्गत नहीं है;

(ख) धारा–86 की उपधारा (5) व (6) के अधीन परमिट धारक द्वारा देय किये जाने के लिये करार की गयी धनराशि यदि कोई हो, वसूली लम्बित तो नहीं है।

(ग) अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिये आवेदन करने की तारीख तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री/माल कर के दिये जाने का साक्ष्य ;

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में पुलिस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित किया जायेगा। पुलिस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त हो जाने पर सम्बन्धित वाहन के समस्त प्रपत्रों की जांच करने के उपरान्त रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के आदेश से फार्म–28 पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही पूर्ण कर आवेदक को आवेदन की तिथि से दूसरे दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी किया जाना – किसी मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में स्वामी द्वारा ऐसे पुलिस थाने में रिपोर्ट की जायेगी जिसकी अधिकारिता में वह खोया या नष्ट हुआ है और इस तथ्य की सूचना ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा जिसने उसे जारी किया हो। रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की

दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन फार्म–26 पर प्रस्तुत करेगा। आवेदन का निरीक्षण करने के उपरान्त आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद कार्यालय पत्रावली से आवेदक के हस्ताक्षरों का मिलान करने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आदेश से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रतिलिपि दूसरे दिन तक आवेदक को दे दी जायेगी।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने की फीस रजिस्ट्रीकरण की फीस का आधा है।

परिवहन यान के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र – मोटरयान अधिनियम की धारा–56 के उपबन्धों के अधीन परिवहन यानों के लिये ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र अनिवार्य है, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–62 के अधीन किसी परिवहन यान के ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता नये यान के लिये दो वर्ष और उसके बाद एक वर्ष है अर्थात प्रतिवर्ष उसका नवीकरण होना आवश्यक है। ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र या उसको नवीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र–एस0आर0–12 में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ निम्नानुसार फीस जमा की जायेगी :–

(क) यान के ठीक हालत में होने का टेस्ट कन्डक्ट करने की फीस –

(i)	दो पहिया या तिपाहिया	रू0 100.00
(ii)	हल्का मोटर यान	रू0 200.00
(iii)	मध्यम मोटरयान	रू0 300.00
(iv)	भारी मोटरयान	रू0 400.00

(ख) ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र देने या उसका नवीकरण करने की फीस रू0 100.00

आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रपत्रों को जांचोपरान्त आवेदक द्वारा निर्धारित फीस जमा करने पर यथास्थिति सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) या सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा कार्यालय में निर्धारित स्थान पर यान के निरीक्षण उपरान्त यान को ठीक हालत में होने की घोषणा पर फिटनेस सहायक द्वारा निरीक्षण प्रपत्र फिटनेस सीरियल रजिस्टर में सीरियल कर सम्बन्धित पत्रावलियां कर शाखा में सम्बन्धित वाहन के रजिस्ट्रीकरण सहायक को उपलब्ध करायी जायेंगी। शाखा के सहायक द्वारा अपने पटल पर स्वस्थ घोषित की गयी प्रविष्टियां

कार्यालय अभिलेखों में अंकित कर ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र फार्म–38 पर यान के ठीक हालत में होने की घोषणा के दिन ही सम्बन्धित आवेदक को प्राप्त करा दिये जायेंगे।

अन्य राज्य से उत्तरांचल राज्य में लाये गये मोटरयान पर उत्तरांचल राज्य के पंजीयन चिन्ह का समनुदेशन – जब कोई यान जो उत्तरांचल राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य मे रजिस्ट्रीकृत है, उत्तरांचल राज्य में बारह मास से अधिक की अवधि के लिये रखा जाता है तो ऐसे यान का स्वामी उस रजिस्ट्रकर्ता प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता में उस समय यान हो, के समक्ष नये रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के समनुदेशन (Assignment) के लिये उक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति के 30 दिन के भीतर फार्म–27 में आवेदन करेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सलंग्न होगा :–

(1) यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;
(3) फीस – यान के रजिस्ट्रीकरण के लिये देय फीस के बराबर ;
(2) फार्म–28 में अनापत्ति प्रमाणपत्र ;

आवेदन का निरीक्षण करने के उपरान्त आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के आदेश से नया पंजीयन चिन्ह दिये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर आवेदन प्राप्ति के दूसरे दिन तक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आवेदक को दिये जायेंगे।

व्यवसाय प्रमाणपत्र का दिया जाना या नवीकरण करना – किसी मोटर यान के डीलर के कब्जे के मोटरयान को रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता से इस शर्त पर छूट है कि ऐसे डीलर द्वारा उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में वह काम करता है, से व्यवयाय प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। व्यवसाय प्रमाणपत्र या उसके नवीकरण के लिये आवेदन फार्म–16 में किया जायेगा। व्यवसाय प्रमाणपत्र देने या उसका नवीकरण करने की फीस प्रत्येक यान के सम्बन्ध में निम्नलिखित हैं :–

(i) मोटर साइकिल रू0 50.00
(ii) अशक्त वाहन रू0 50.00
(iii) अन्य रू0 200.00

निम्नलिखित वर्गों के यानों में से प्रत्येक के लिये पृथक आवेदन किया जायेगा :–

(क) मोटर साइकिल ;
(ख) अशक्त गाड़ी ;
(ग) हल्का मोटरयान ;
(घ) मध्यम यात्री मोटरयान ;

(ङ) मध्यम मालयान ;
(च) भारी यात्री मोटरयान ;
(छ) भारी मालयान ;
(ज) विशिष्ट वर्ग का कोई अन्य मोटरयान ;

किसी यान के सम्बन्ध में व्यवयाय प्रमाणपत्र देने या उसके नवीकरण के लिये आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक सद्भाव पूर्वक व्यवहारी है और उसे आवेदन में अपेक्षित प्रमाणपत्र की आवश्यकता है तो वह आवेदक को फार्म–17 में यथा स्थिति एक या उससे अधिक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और प्रत्येक प्रमाणपत्र के लिये व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करेगा जिसमें (1) राज्य कोड (2) रजिस्ट्रीकरण जिला कोड (3) यान का व्यवसाय प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

आवेदन सम्पूर्ण औपचारिकताओं सहित प्राप्त होने पर जांचोपरान्त रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा आवश्यक आदेश पारित करने पर आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किया जायेगा। इसके बाद व्यवसाय प्रमाणपत्र फार्म–17 पर आवेदन प्राप्ति के दूसरे दिन तक आवेदक को दिया जायेगा।

रजिस्ट्रीकरण का निलम्बन – यदि किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि उसके अधिकारिता क्षेत्र के अंदर रजिस्ट्रीकृत मोटरयान :–

(क) ऐसी हालत में है जिसमें सार्वजनिक स्थान में उसके उपयोग से जनता के लिए खतरा पैदा होगा या वह मोटरयान अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है ; या

(ख) भाड़े या पारिश्रमिक पर काम में लाये जाने के लिए विधिमान्य परमिट के बिना इस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा है।

तो ऐसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी यान के स्वामी को उस पते पर जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दिया हुआ है रजिस्ट्री डाक से (उसकी प्राप्ति की रसीद वापसी सहित) सूचना भेजकर उसे सुनवाई का अवसर देते हुये उस यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उन कारणों से जो लपिबद्द किये जायेंगे उसकी खामियों के दूर होने तक अथवा 4 मास तक निलम्बित कर सकेगा।

रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना –

(1) यदि कोई मोटरयान नष्ट हो जाय ; या
(2) स्थायी रूप से इस योग्य न रह जाये कि उसका उपयोग किया जा सके ; या
(3) उसका निलम्बन लगातार छः मास की अवधि तक रहे ;

तो यान का स्वामी चौदह दिन के भीतर उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान या कारबार का स्थान है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र भेज देगा और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आवश्यक औपरचारिकताएं पूर्ण करने पर यान का रजिस्ट्रकरण रद्द कर देगा।

परिवहन यानों का नियंत्रण

परमिट की आवश्यकता – मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–66 के उपबन्धों के अधीन किसी परिवहन यान का परिवहन यान के रूप में उपयोग उसके परमिट एवं उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन ही किया जा सकेगा। इस प्रकार मैक्सी कैब, मोटर कैब, ठेका गाड़ी, मंजिली गाड़ी, मालयान, शिक्षा संस्था बस या प्राइवेट सेवायान के लिये परमिट आवश्यक है।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का गठन – मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा पौड़ी में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके क्षेत्रान्तर्गत पौड़ी गढ़वाल, चमोली व रूद्रप्रयाग है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण पौड़ी के अध्यक्ष आयुक्त गढवाल मण्डल हैं तथा उसमें एक अशासकीय सदस्य है।

परमिट आवेदन पत्र की सुनवाई –

(1) जब सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में परमिट के लिए किसी आवेदन– पत्र पर विचार किया जाय और आवेदक अपने आवेदन–पत्र के समर्थ में सुनवाई किये जाने के लिए इच्छुक हो या उसे उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–58 के उपनियम (7) के उपबन्धों के अधीन उपस्थित होने के लिए बुलाया गया हो तब या तो वह स्वयं उपस्थित होकर मामले का संचालन कर सकता है या किसी अनुमोदित अभिकर्ता द्वारा उसका प्रतिनिधित्व करा सकता है। परन्तु स्थायी मंजिली गाड़ी परमिट के लिए किसी आवेदन–पत्र पर यदि वह अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए हो, ऐसे मार्ग या क्षेत्र की अनुमोदित स्कीम में यथा उपबंधित के सिवाय विचार नहीं किया जायेगा।

(2) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण आवेदक से इस निमित्त एक घोषणा या शपथ–पत्र दाखिल करने को कह सकता है कि यान के सम्बन्ध में कोई अन्य परमिट विद्यमान नहीं है।

(3) परमिट के आवेदन पत्र पर विचार करते समय सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, सड़क परिवहन क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर, प्रचालन के लिये उदारीकरण नीति को ध्यान में रखेगा।

मंजिली गाड़ी परमिट दिया जाना – यह परमिट मोटर यान अधिनियम – 1988 की धारा–72 के अंतर्गत मंजिली गाड़ियों को किसी अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत संचालन हेतु प्रदान किया जाता है। इस हेतु आवेदन प्रपत्र–एस0आर0–20 में धारा–70 में अपेक्षित ब्यौरों सहित रू0 100/– की कोर्ट फीस एवं नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र के साथ सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय की परमिट शाखा में प्रस्तुत किया जायेगा। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर विचारोपरान्त परमिट स्वीकृत किये जाते है प्राधिकरण की बैठक में परमिट की स्वीकृति होने के उपरान्त आवेदक द्वारा परमिट प्राप्त करने हेतु यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के द्वारा आवश्यक आदेश पारित करने के बाद आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर पर प्रपत्र–एस0आर0–26 पर परमिट तैयार कर सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर परमिट आवेदक को दिया जायेगा।

मंजिली गाड़ी की परमिट फीस रू0 4800.00 है।

प्राइवेट सेवायान परमिट का दिया जाना – यह परमिट मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–76 के अन्तर्गत ऐसे यान को जिसे यान के स्वामी द्वारा उसके व्यापार या कारबार के लिये या उसके सम्बन्ध में व्यक्तियों को वहन करने के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किया जाता है (जैसे शिक्षण संस्थाओं, फैक्ट्रीयों, निजी कम्पनियों, पंजीकृत संस्थाओं आदि को उनके कर्मचारियों को वहन करना) दिया जाता है। यह परमिट उदार नीति एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन जारी होते हैं। इस परमिट को प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र–एस0आर0–23 में धारा–76 में अपेक्षित ब्यौरों सहित रू0 100.00 की कोर्ट फीस के साथ परमिट शाखा में प्रस्तुत किया जाता है।

प्रपत्रों का निरीक्षण करने के बाद सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के द्वारा आवश्यक आदेश पारित करने के बाद आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रपत्र–एस0आर0–29 पर परमिट तैयार कर आवेदन प्राप्ति के दूसरे दिन तक आवेदक को दे दिया जायेगा।

प्राइवेट सेवायान की परमिट फीस रू0 3000.00 है।

ठेका गाड़ी परमिट का दिया जाना – यह परमिट मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–74 के अन्तर्गत ऐसे यान को जो किसी अभिव्यक्त (Expressed) या अव्यक्त (Implied) सविदां के अधीन भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों को वहन करता है जैसे बस, मिनी बस, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, यूटिलिटी वाहनों को जारी किये जाते हैं। इन परमिटों को स्वीकृत करने का निर्णय सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठकों में लिया जाता है। ठेका गाड़ी परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र एस0आर0–21 में, मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा–73 में अपेक्षित ब्यौरों एवं रू0 100.00 की कोर्ट फीस व नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र सहित दिया जायेगा। तद्पश्चात आवेदन पत्र पर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में विचार व निर्णय किया जाता है। प्राधिकरण की बैठक में परमिट स्वीकृत होने पर आवेदक द्वारा परमिट प्राप्त करने हेतु यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रपत्रों का निरीक्षण करने के बाद आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात प्रपत्र एस0आर0–27 पर परमिट आवेदक को दिया जायेगा।

मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से भिन्न ठेका गाड़ी की परमिट फीस रू0 6000.00 है।

विक्रम/ऑटो वाहनों के परमिट – नगर क्षेत्र में आम जनता को सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा ऑटो/विक्रम मोटरयानों को परमिट स्वीकृत किये जाते हैं। इसके लिये आवेदन पत्र प्रपत्र एस0आर0–21 में अधिनियम की धारा–74 में अपेक्षित व्यौरों एवं रू0 100.00 की कोर्ट फीस तथा नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र सहित दिया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में विचार व निर्णय किया जाता है। बैठक में परमिट स्वीकृत होने पर आवेदक द्वारा परमिट प्राप्त करने हेतु यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रपत्रों का निरीक्षण करने के बाद आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात प्रपत्र एस0आर0–27 पर परमिट तैयार कर आवेदक को दिया जायेगा।

ऑटो, विक्रम की परमिट फीस रू0 750.00 है।

माल वाहन परमिट दिया जाना – राज्य में सर्वत्र विधिमान्य होने वाला या आवेदन के अनुसार अथवा ऐसे उपान्तरणों (Modifications) सहित जिन्हें वह ठीक समझे, सम्भागीय परिवहन

प्राधिकरण माल वाहन परमिट जारी कर सकता है। माल वाहन परमिट के लिये आवेदन प्रपत्र एस0आर0–22 में धारा–77 में मांगी गई सूचनाओं सहित रू0 100/– कोर्ट फीस तथा नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र लगाकर देना होता है। साथ में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण का विवरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र सलंग्न करना आवश्यक है।

माल वाहन की परमिट फीस रू0 4800.00 है।

माल वाहन का राष्ट्रीय परमिट – मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा (12) के अधीन यह परमिट कम से कम चार राज्यों के लिए ऐसे माल वाहनों के लिये जिनकी आयु 12 से अधिक न हो को राष्ट्रीय परमिट की शर्तें पूरी करने पर, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा या उनके प्राधिकार से सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा दिये जाते हैं। राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने के लिए निम्न प्रपत्रों की आवश्यकता होती है :–

1. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के फार्म–48 में आवेदन पत्र एवं उसमें रू0 100.00 का कोर्ट फीस टिकट लगा हो।
2. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
3. नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र।
4. सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि वाहन राष्ट्रीय परमिट की शर्तों के अनुरूप हैं।
5. दो चालकों के लाइसेंस की छाया प्रति जो वाहन को संचालित करेंगे।
6. राष्ट्रीय परमिट के अधिकार पत्र के लिए फार्म–46 में रू0 100 कोर्ट फीस टिकट लगाकर प्रार्थना पत्र के साथ कम से कम तीन राज्यों के कम्पोजिट टैक्स के बैंक ड्राफ्ट जो स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के होंगे प्रस्तुत करने होंगे।
7. परमिट फीस रू0 4800.00।

उपरोक्तानुसार प्रपत्रों का निरीक्षण करने के पश्चात आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात राष्ट्रीय परमिट तथा राष्ट्रीय परमिट का अधिकार पत्र फार्म–47 पर तैयार कर आवेदक को दिया जायेगा।

राष्ट्रीय परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 86 से 90 में है।

अस्थाई परमिट – यह परमिट निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये जारी किये जाते हैं :–

(1) विशेष अवसरों, मेलों, धार्मिक सम्मेलनों आदि में यात्रियों को लाने ले जाने लिये ;
(2) मौसमी कारोबार के प्रयोजनों के लिये ;
(3) किसी विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता की पूर्ति के लिये ;
(4) स्थाई परमिट के नवीनीकरण का आवेदन–पत्र लम्बित होने पर ;

(5) बारात, या किसी रिजर्व पार्टी को गनतव्य तक ले जाने तथा वापस लाने के लिए एक वापसी सेवा का विशेष अस्थाई परमिट जारी किया जाता है।

राज्य के मार्गों का परमिट धारा–87 के अन्तर्गत तथा अन्य राज्यों का परमिट धारा–88 की उपधारा (8) के अन्तर्गत जारी किया जाता है।

अस्थायी परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र–एस0आर0–24 रू0 100.00 कोर्ट फीस स्टाम्प सहित प्रस्तुत किया जाता है। प्रपत्रों का निरीक्षण करने के बाद सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के द्वारा आदेश पारित करने के बाद आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करन पर अस्थाई परमिट प्रपत्र एस0आर0–30 व विशेष परमिट धारा–88 की उपधारा (8) के अधीन प्रपत्र–एस0आर0–31 आवेदक को दिया जाता है।

अस्थाई परमिट की फीस प्रथम तीन दिन के लिये रू0 300.00 एवं तद्पश्चात प्रत्येक सप्ताह या उसके भाग के लिये रू0 300.00 है।

परमिटों का नवीकरण – परमिट की अवधि समाप्त होने पर उसका नवीकरण कराना होता है। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–81 में दिये गये प्राविधान के अनुसार किसी परमिट का नवीकरण उसके समाप्त होने की तिथि से 15 दिन पहले दिये आवेदन पर किया जायेगा। परमिट के नवीकरण हेतु आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ रू0 100.00 की कोर्ट फीस लगी होनी चाहिए। साथ ही वाहन के चालान एवं कर से सम्बन्धित कागजात सलंग्न होने चाहिये। यान का परमिट साथ ही प्रस्तुत होना चाहिए। आवेदक द्वारा परमिट नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत कागजात का निरीक्षण करने के बाद सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के द्वारा आदेश पारित करने के बाद आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर कार्यालय अभिलेखों में व परमिट में नवीनीकरण का पृष्ठांकन कर आवेदन प्राप्ति के दूसरे दिन आवेदक को दिया जायेगा।

परमिट अन्तरण – कोई भी परमिट उस परिवहन प्राधिकरण की, जिसने वह परमिट दिया हो, अनुज्ञा के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अन्तरणीय नहीं होगा। जब परमिट धारक धारा–82 के अधीन परमिट को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करना चाहता है तब वह तथा वह व्यक्ति जिसे वह यान अन्तरित करना चाहता है, प्रपत्र–एस0आर0–33 में ऐसे परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट दिया गया है, प्रस्तावित अन्तरण का कारण देते हुये संयुक्त

आवेदन पत्र देगा जिस पर रू0 100.00 का कोर्ट फीस स्टाम्प लगा होगा। इसके अतिरिक्त परमिट धारक एवं जिसको परमिट अन्तरित करना है दोनों इस आशय का शपथ पत्र देंगे कि उनके द्वारा परमिट का कोई पैसा नहीं लिया गया है और न ही भविष्य में लिया जायेगा।

परमिट हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत कागजात का निरीक्षण करने के बाद सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के द्वारा आदेश पारित करने के बाद आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर कार्यालय अभिलेखों में व परमिट में हस्तान्तरण की प्रविष्टि कर आवेदन प्राप्ति के दूसरे दिन आवेदक को दिया जायेगा।

परमिट के अन्तरण की फीस :–

(1) मंजिली गाड़ी के लिये – रू0 6000.00 (मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी से भिन्न)
(2) ठेका गाड़ी के लिये – रू0 6000.00
(3) माल वाहन के लिये – रू0 500.00
(4) मोटर टैक्सी, बड़ी टैक्सी प्रत्येक के लिये – रू0 200.00

परमिट द्वारा प्राधिकृत यान का प्रतिस्थापन – मोटर गाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–83 के अन्तर्गत यदि परमिट धारक अपने परमिट के अन्तर्गत आने वाले किसी यान को दूसरे से प्रतिस्थापित करना चाहता है तो इसके लिये वह प्रपत्र एस0आर0–32 में रू0 100–00 के कोर्ट फीस टिकट लगाकर ऐसे संभागीय परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया है के समक्ष आावेदन करेगा और :–

(1) यदि नया यान उसके कब्जे में हो, तो उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अग्रसारित करेगा ; या
(2) यदि नया यान उसके कब्जे में नही हैं तो कोई सारवान विशिष्टि उल्लिखित करेगा जिसके लिये नया यान पुराने से भिन्न हैं ;

आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण उस पर विचार कर उसे स्वविवेकानुसार अस्वीकृत कर सकता है यदि :–

(1) प्रस्तावित नया यान पुराने यान से सारवान भिन्नता रखता हो ,
(2) परमिट धारक ने परमिट के उपबंधों का उल्लंघन किया हो ;
(3) किसी अवक्रय करार के उपबंधों के अधीन पुराने यान के कब्जे से बंचित कर दिया गया हो;

यान के प्रतिस्थापन के लिए आवेदनपत्र स्वीकृत होने की दशा मे सम्भागीय परिवहन अधिकारी परमिट एवं नये यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु परमिट धारक को कहेगा और अपनी मोहर व हस्ताक्षर से तदनुसार परमिट ठीक कर धारक को वापस कर देगा ।

परमिट के अधीन किसी यान के बदले जाने के आवेदन की फीस 180.00 होगी ।

खोयी, नष्ट हुई परमिटों के स्थान पर दूसरी प्रति का जारी किया जाना – जब कोई परमिट खो गया हो या नष्ट हो गया हो, तब धारक तुरंत तथ्य की सूचना उस परिवहन प्राधिकरण को देगा जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी थी और उसकी दूसरी प्रति जारी करने हेतु रू0 100. 00 कोर्ट फीस स्टाम्प सहित सादे कागज पर आवेदन पत्र देगा, साथ ही इस आशय का शपथपत्र देगाकि परमिट जिसके संबंध में आवेदन पत्र दिया गया है वास्तव में खो गयी हैं या नष्ट हो गयी हैं और उसे अधिनियम के अधीन विहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्त नहीं किया गया है और अपना समाधान करने के पश्चात इस प्रकार खो गयी या नष्ट हो गयी परमिट की दूसरी प्रति जारी कर सकता है । इस प्रकार जारी दूसरी परमिट पर स्पष्ट रूप से "दूसरी प्रति" चिंहित किया जायेगा।

परमिट की दूसरी प्रति जारी करने की फीस रू 100.00 ।

माल वाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रह अग्रेषण और वितरण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन – अभिकर्ता अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र एस0आर0–36 में किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ उ0प्र0 मोटरयान नियमावली–1998 के नियम–113, 114, 117, 119, 121 मे दिये गये प्राविधानों के अंतर्गत अनुपालन किये जाने सम्बन्धी समस्त सूचनाएं सलंग्न की जायेंगी। उपरोक्त हेतु उ0प्र0 मोटरयान नियमावली–1998 में निर्धारित शुल्क एवं रू0 10000 की प्रतिभूति भी जमा की जानी आवश्यक है।

आवेदन पत्र एवं सलंग्नकों का परीक्षण करने के उपरान्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचनाओं से संतुष्ट होने के उपरान्त आदेश पारित करेंगे। आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रपत्र एस0आर0–37 पर अभिकर्ता अनुज्ञप्ति तैयार कर शुल्क जमा होने की तिथि के दो दिन उपरान्त आवेदक को दे दिया जायेगा।

यातायात का नियंत्रण

मोटर यान के प्रयोग और गति पर निबंधन –

(1) किसी नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबंधन या सामान्यतया मोटर यानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गो के मोटर यानों के प्रयोग पर निबंधन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा वह उचिम समझे दे सकता हैं । ऐसा आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उससे निकट, जहाँ से वे लागू होते है, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे ।

परंतु यह कि पर्वतीय सड़कों के संबंध में पुलिस अधीक्षक या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए इस नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा ।

(2) जहाँ रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ने उक्त उप प्रस्तर (1) के अधीन आदेश द्वारा एक मार्गीय यातायात के आधार पर मोटर यानों के चलाये जाने पर किसी पहाड़ी सड़क पर किसी छोड़ से यानों के गमनागमन के लिए गेट समय (गेट टाइमिंग्स) निर्दिष्ट करके निबंधन आरोपित कर दिया हो वहाँ संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय का समाधान हो जाने पर कि किसी विशिष्ठ मोटर यान या मोटर यानों के उपर्युक्त गेट समय के बाहर चलाया जाना लोक हित में आवश्यक है और उससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे की संभावना नहीं है वह ऐसे गेट समय के बाहर उसे चलाने की ऐसे निबंधनों के अध्याधीन जैसे कि वह सार्वजनिक सुरक्षा के जिसमें प्रश्नगत यान को 20 किमी0 प्रति घंटा से अधिक गति से किसी भी दशा में न चलाये जाने का निबंधन भी सम्मलित है, हित में आरक्षित कर अनुज्ञा दे सकता है ।

यातायात चिन्हों का विनिर्माण –

(1) जिला मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी , मोटर यान यातायात को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर, साइनबोर्ड या नोटिस बोर्डो को ऐसी लिपि में जो प्रर्दशन के लिए उपयुक्त हो सड़क की सतह पर चिन्ह बनवा सकता है ।

(2) उक्त उप प्रस्तर (1) के अधीन विनिर्मित चिन्ह या नोटिस बोर्ड के अंर्तगत मोटर यान अधिनियम 1988 की अनुसूची में उल्लिखित आकारों में चिन्ह भी सम्मलित है ।

(3) कोई भी व्यक्ति इस नियम के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये या विनिर्मित किसी चिन्ह, संकेत या नोटिस को न तो परिवर्तित या विरूपित करेगा, न हटायेगा या न ही अन्यथा हस्तक्षेप करेगा ।

सड़क पर परित्यक्त यान –

यदि किसी मोटर यान को सम्यक विनिर्दिष्ट पार्किंग स्थान से भिन्न किसी स्थान पर खड़ा रखा जाये कि उससे यातायात में बाधा पड़ती हो या किसी व्यक्ति को खतरा हो तो उप

निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग का कोई विनिर्दिष्ट अधिकारी।

(1) यान को उसकी स्वयं की शक्ति द्वारा तत्काल हटवा सकता है या अन्यथा यान को निकटस्थ स्थान पर रखवा सकता है जहां उससे असम्यक बाधा या खतरा न हो ।

(2) जब तक उसे ऐसी स्थिति में न हटा दिया जाय जहाँ वह बाधा या खतरा न उत्पन्न करता हो, यान की उपस्थिति को सूचित करने के लिए सभी युक्तियुक्त सावधानियां बरतेगा ।

(3) यदि यान एक स्थान पर चौबीस घंटे की अनवरत अवधि के लिए स्थिर खड़ा रहा है और स्वामी या उसके प्रतिनिधि द्वारा उसकी मरम्मत कराने या उसे हटाने के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये हो सुरक्षित अभिरक्षा के निकटस्थ स्थान पर यान और उसके सामान को हटा देगा।

यदि कोई मोटर यान सम्यक रूप से विनिर्दिष्ट पार्किंग स्थान पर उस स्थान के संबंध में सक्षम प्राधिकरी द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक के लिए खड़ा हो या यदि ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो छः घंटे से अधिक की अवधि के लिए खड़ रहे तो, उप निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग का कोई विनिर्दिष्ट अधिकारी यान को सुरखित अभिरक्षा के निकटस्थ स्थान पर हटा सकता है ।

किसी अर्थ दंड या शास्ति के होते हुए भी, जो किसी व्यक्ति पर मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 122 के बनाये गये किसी विनियम के उपबन्धों के अतिलंघन(Contravention),या सम्यक विनिर्दिष्ट पार्किंग स्थान के प्रयोग के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिद्धदोष ठहराये जाने पर किसी व्यक्ति पर आरोपित की जाय, मोटर यान का स्वामी या उसका उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि, उपनिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग का कोई विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यान को हटाने माल उतारने, देखभाल करने या हटाने या इसकी सामग्री के संबंध में उपगत व्यय को पूरा करने का दायी होगा, और कोई पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में वाहन को उपनिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी ने या परिवहन विभाग के किसी विनिर्दिष्ट अधिकारी ने सौंपा हो, वह यान को तब तक रोक रखने का हकदार होगा जब तक उसे तद्नुसार भुगतान न मिल जाए और ऐसे भुगतान की प्राप्ति पर भुगतान करने वाले व्यक्ति को रसीद देगा ।

तौलने के यंत्रों का लगाया जाना और उनका उपयोग –

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 114 के प्रयोजनार्थ तौलने का यंत्र निम्नलिखित हो सकता है–

(क) राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के आदेश से या उसके अधीन किसी भी स्थान पर लगाया गया और अनुरक्षित कांटा (वे–ब्रिज),

(ख) मोटर यान अधिनियम और राज्य मोटर यान नियमावली के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति द्वारा लगाये गये और अनुरक्षित तौल के यंत्र के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कांटा,

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी प्रकार का वहनीय पहियादार तोलक ।

(2) किसी माल वाहन का ड्राइवर परिवहन विभाग के किसी विनिर्दिष्ट अधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर वाहन को इस प्रकार चलायेगा और काम में लायेगा कि, यथास्थिति, उसे या उसके पहिये को किसी कांटा (वे ब्रिज) या पहियादार तोलक पर ऐसी रीति से रखा जाय कि वाहन का भार या किसी पहिये या पहियों द्वारा ज्ञातभार कांटा या पहियादार तोलक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकेगा ।

(3) यदि किसी, मोटरयान का ड्राइवर युक्तियुक्त समय के भीतर उक्त उप प्रस्तर (2) के अधीन की गयी अध्यपेक्षा का पालन करने में विफल रहे तो परिवहन विभाग का प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति से जो ऐसी चालन अनुज्ञप्ति का धारक हो जो उसे ऐसे यान को चलाने के लिए प्राधिकृत करती हो, चलाने या अभिचालन के लिए कह सकता हैं ।

(4) जब किसी मोटर यान का भार या धुरी–भार यान के किसी पहिये या पहियों द्वारा पृथक –पृथक और स्वतंत्र रूप से ज्ञात भार से अवधारित किया जाय, तब यान का धुरी–भार और लदान– भार को, यथास्थिति, किसी धुरी के पहियों द्वारा या यान के समस्त पहियों द्वारा ज्ञात–भार का योग समझा जायेगा।

(5) मोटर यान अधिनियम की धारा 114 और राज्य मोटर यान नियमावली के निमय 181 के अनुसार यान की तोल हो जाने पर, व्यक्ति जिसने तोल लेने की अपेक्षा की है या तोल तौलने के यंत्र का प्रभारी व्यक्ति यान के ड्रावर या अन्य प्रभारी व्यक्ति को यान के और किसी धुरी के जिसका भार पृथक रूप से अवधारित किया गया हो भार का विवरण पत्र लिखित रूप में देगा।

(6) इस प्रकार तौली गई यान का ड्राइवर, या प्रभारी व्यक्ति या स्वामी तौलने के यंत्र की शुद्धता पर लिखित विवरण देकर आपत्ति कर सकता हैं ।

(क) उक्त उप प्रस्तर (5) में निर्दिष्ट विवरण पत्र प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वारा उसे विवरण पत्र प्राप्त हुआ हो, लिखित विवरण देकर तौल लेने के दिनांक के तीन दिन के भीतर बीस रूपये जमा करके सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में आपत्ति कर सकता है, किन्तु ऐसा न करने पर मशीन की शुद्धता पर आपत्ति करने वाला विवरण ग्राहय नहीं होगी ।

(ख) ऐसी नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी या न्यायालय को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन अपने विरूद्ध कार्यवाहियों की नोटिस तामील करने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर दिया गया हो ।

(7) उक्त उप प्रस्तर (6) के अधीन तौलने के यंत्र की शुद्धता पर आपत्ति करने वाला विवरण पत्र प्राप्त होने पर, ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी या न्यायालय जिनके द्वारा विवरण पत्र प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि बीस रूपया जमाकर दिया गया है, जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करे, तौलने के यंत्र की जाँच किये जाने के लिए

आवेदन कर सकता है और ऐसे व्यक्ति का जो तौल के साधन की शुद्धता के संबंध में इस प्रकार नियुक्त किया जाय, प्रमाणपत्र अंतिम होगा ।

(8) यदि उपर्युक्त के अनुसार तौलने के यंत्र की जांच करने के पश्चात तौलने के यंत्र को ऐसे किसी भार से अधिक सीमा तक अशुद्ध प्रमाणित किया जाय जितने से उक्त उप प्रस्तर (5) में निर्दिष्ट विवरण–पत्र में यान का लदान–भर या लदान रहित भार या कोई धुरी–भार यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत लदान –भर या रजिस्ट्रीकृत लदान रहित भार या रजिस्ट्रीकृत धुरी–भार से अधिक दर्शाया जाय तो किसी ऐसे लदान भार या लदान रहित भार या धुरी भार के सम्बन्ध में कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और यदि उक्त यंत्र वस्तुतः तौले गये प्रत्येक ऐसे लदान–भार लदान रहित भार या धुरी–भार के संबंध में उक्त सीमा तक अशुद्ध प्रमाणित किया जाय तो उक्त उप प्रस्तर (6) के अनुसार जमा धन वापस कर दिया जायेगा ।

(9) कोई व्यक्ति उप प्रस्तर (6) के अधीन तौलने के किसी यंत्र की शुद्धता पर आपत्ति करने के कारण मोटर यान अधिनियम, 1988 धारा 113 के अधीन किसी लिखित आदेश का पालन करने से इन्कार नहीं करेगा ।

गतिमान यान को पकड़ने या उस पर चढ़ने पर प्रतिषेध –

(1) किसी मोटर यान पर जब वह गतिमान हो , कोई व्यक्ति न तो चढ़ेगा, न चढने की चेष्ठा करेगा और न उससे उतरेगा ।

(2) कोई व्यक्ति किसी गतिमान मोटर यान को नहीं पकड़ेगा और किसी मोटर यान का ड्राइवर किसी गतिमान यान को जो किसी अन्य पहियादार यान या अन्यथा खींचा जा रहा हो किसी व्यक्ति से न तो पकड़वायेगा और न उसे पकड़ने की अनुमति देगा ।

खतरनाक पदार्थो को ले जाने पर प्रतिबंध –

(1) यान के प्रयोग के लिए आवश्यक ईधन और स्नेहक (लुब्रीकेंट) के सिवाय जिसे ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि उससे खतरा न हो या वह आकस्मिक रूप से जलने न पाय । कोई विस्फोटक, अत्यधिक ज्वलनशील या अन्यथा खतरनाक पदार्थ किसी सार्वजनिक सेवा यान पर नहीं ले जाया जायेगा ।

(2) परिवहन विभाग का कोई विहित अधिकारी या उप निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी की राय में कोई सार्वजनिक सेवा यान किसी समय इसका अतिलंघन करके लदा हुआ हैं तो वह ड्राइवर को या यान के प्रभारी अन्य व्यक्ति को ज्वलनशील या खतरनाक पदार्थ को हटाने का आदेश दे सकता है ।

ध्वनि संकेतो के प्रयोग पर प्रतिबंध –

जिला मजिस्ट्रेट यथास्थिति संबंधित शहर या जिले में एक या एकाधिक समाचार पत्रों में अधिसूचना द्वारा और यातायात चिंह संख्या एम–18 जैसा कि मोटर यान अधिनियम 1988 की प्रथम अनुसूची में दिया गया हैं उपयुक्त स्थानों पर विनिर्माण कराकर किसी हार्न या श्रवण चेतावनी देने के लिए अन्य युक्ति को शहर या जिले के भीतर किसी क्षेत्र में और ऐसे घंटों के

दौरान जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कियाजाय मोटर यानों के ड्राइवरों द्वारा प्रयोग किया जाना प्रतिषिद्ध कर सकता है ।

परंतु यह है कि जब जिला मजिस्ट्रेट किसी हार्न या श्रवण चेतावनी देने के लिए किसी अन्य युक्ति के प्रयोग को कतिपय विनिर्दिष्ट घंटों के दौरान प्रतिषिद्ध कर दे तो वह यातायात चिन्ह के नीचे हिंदी में उपयुक्त नोटिस जिसमें ऐसे घंटो को, जिनमें ऐसे प्रयोग को, इस प्रकार प्रतिषिद्ध किया गया हो, दिया जायेगा ।

यानों का रात्रि में चालन –

ऐसी पर्वतीय सड़कों को, जिन्हें परिवहन आयुक्त उत्तरांचल ने रात्रि के दौरान प्रयोग के लिए सर्वथा उपयुक्त प्राधिकृत किया हो, छोड़कर कोई व्यक्ति, जब तक कि उसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न कर दिया जाय, किसी पर्वतीय सड़क पर रात्रि में किसी मोटर यान को नहीं चलायेगा :

परन्तु प्रथमतः यह कि दुर्घटना, बीमारी या किसी तत्समान आत्ययिकता के कारण सहायता प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ या किसी तत्समान प्रयोजन के लिए किसी पर्वतीय सड़क पर किसी मोटरयान को रात्रि में चलाना आवश्यक हो जाने की दशा में ड्राइवर युक्ति युक्ततः यथासम्भव शीघ्र निकटमत पुलिस स्टेशन को अपना नाम और यान की संख्या और स्वामी का नाम और ऐसी अन्य विशिष्टयां, जैसी कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा उससे अपेक्षा की जाय, रिपोर्ट करेगा।

परन्तु द्वितीयतः यह कि, यदि कोई मोटरयान पर्वतीय सड़क पर बिगड़ जाय और चालक रात्रि होने से पहले अपनी यात्रा पूरी करने में असमर्थ हो जाय तो वह आवश्यक मरम्मत के लिए मोटरयान को सड़क के बाएं ओर ले जायेगा और किसी मरम्मत के पश्चात वह अपनी यात्रा सोलह किमी0 प्रति घंटा से अनधिक की गति ये जारी रख सकता है और ऐसी स्थिति में वह पुलिस थाने पर या पुलिस चौकी पर, जिस पर वह रात्रि होने के पश्चात पहुंच सके, अपना नाम और यान की संख्या व रात्रि होने के पश्चात यात्रा करने के अपने कारणों की अग्रतर रिपोर्ट करेगा।

परन्तु तृतीयतः यह कि किसी मामले में जैसा कि द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित है, यदि उस स्थान के जहां पर मोटरयान मोटरयान बिगड़ गया हो और उस स्थान के मध्य जहां यान

के मरम्मत के बाद उसकी यात्रा की समाप्ति होती हो, कोई पुलिस थाना या पुलिस चौकी नहीं हो तो ड्राइवर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने पर निकटतम पुलिस थाने में अपना नाम और यान की संख्या और रात्रि होने के पश्चात यात्रा करने के लिए कारणों की रिपोर्ट करेगा :

परन्तु अन्ततः यह कि, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, ब्रिगेडियर की श्रेणी से अनिम्न किसी सेवा के अधिकारी को किसी कमीशन प्राप्त सेना के अधिकारी को जब वह ड्यूटी पर यात्रा कर रहा हो,

आत्ययिकता की दशा में किसी हल्के मोटरयान को पर्वतीय सड़क पर रात्रि में चलाने के लिए विशेष पास जारी करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।

लकड़ी का चोक –

(1) ढाल पर यान को पीछे जाने से रोकने के लिए या अन्यथा इसे अचल बनाने के लिए हल्के मोटरयान से भिन्न प्रत्येक परिवहन यान का स्वामी अपने यान के साथ दो दुधारी ठोस लकड़ी की चोक रखेगा, प्रत्येक चोक की लम्बाई 30–40 सेन्टीमीटर, चौड़ाई 30–50 सेन्टीमीटर और ऊंचाई 25–40 सेन्टीमीटर होगी। उसका एक सिरा अन्त में 45 अंश का कोण बनाता हुआ ढालू होगा। प्रत्येक चोक के ढालू सिरे की सतह अवतल होगी ताकि वह यान के पिछले पहियों में लगाये गये टायरों की बाहरी परिधि को सामान्यतः ठीक रख सके।

(2) परन्तु जहां ऐसे यान में एक पिछला पहिया लगा हो, प्रत्येक ऐसे चोक की चौड़ाई 30–50 सेन्टीमीटर से कम किन्तु 15–25 सेन्टीमीटर से कम नहींहोगी ।

(3) ऐसे प्रत्येक चोक में एक कुन्दा लगा होगा और उसे –

(एक) यान के टेल बोर्ड के बाहरी सतह पर लगे हुए ब्रेकेट में रखा जायेगा ;

(दो) जहां यान के टेल बोर्ड न हो वहां किसी तरफ के पिछले पहियें के निकटस्थ ढांचे के निचले हिस्से में फ्रेम साइड मेंम्बरों के बीच लगे किसी मेटल कैरियर में रखा जायेगा। यान के टेल बोर्ड और जहां यान में कोई टेल बोर्ड न हो तो फ्रेम मेंम्बरों के ऊपर लगे लकड़ी के तख्तों के केन्द्र में एक कुन्दा भी लगाया जायेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा चोक टेल बोर्ड से लगा रहेगा या यान में कोई टेल बोर्ड न हो वहा फ्रेम साइड मेम्बरों के ऊपर लकड़ी के तख्ते से धातु की जंजीर से या पर्याप्त लम्बी और मजबूत स्टील के तार की रस्सी से चोक में लगे हुक से और यथास्थिति टेल बोर्ड या लकड़ी के तख्तों में लगे हुक से बंधा रहेगा।

(5) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी माल वाहन को या ऐसे यानों के वर्ग को, जिसके उसकी राय में ढालों पर पीछे खिसकने की सम्भावना न हो, इस से छूट दे सकती है।

चढ़ने वाले यानों का अग्रताक्रम –

(1) कोई मोटर यान तत्समान दिशा में यात्रा कर रहे दूसरे यान को किसी ऐसे स्थान पर जहां ओवर टेक कर रहे यान के ड्राइवर को कम से कम 185 मीटर आगे तक सड़क स्पष्ट रूप से दिखायी देती है को छोड़कर, ओवरटेक नहीं करेगा।

(2) जहां किसी पर्वतीय सड़क पर दो मोटरयान विपरीत दिशाओं से एक दूसरे के पास किसी पुलिया या संकरे स्थान पर पहुंचते हों वहां नीचे की दिशा में जा रहे मोटरयान का ड्राइवर ऊपर की दिशा में चढ़ने वाले यान को रास्ता देगा। जब ऐसी पहुंच किसी उतार–चढ़ाव वाली या सम–आयाम की सड़क पर होती है तो उस तरफ की सड़क के, जहां से पहाड़ी ऊपर की ओर ढाल लेती है, यान का ड्राइवर रास्ता देगा।

कतिपय अनुज्ञप्तियों का पर्वतीय सड़कों के लिए पृष्ठांकन –

कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सेवायान को या किसी माल वाहन को किसी पर्वतीय सड़क पर नहीं चलायेगा जब तक कि ऐसे सार्वजनिक सेवायान या माल वाहन के चालन की उसकी अनुज्ञप्ति को किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ऐसी पर्वतीय सड़कों पर, जो ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर स्थित हो, या ऐसे सार्वजनिक सेवा यानों के जो पर्यटकों द्वारा किराये पर ली जाती है, मामले में ऐसे राज्य के जिससे इस बिन्दु पर पारस्परिक प्रबन्ध की सहमति हो गयी हो, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा चलाने की अनुज्ञा के साथ पृष्ठांकित न की गयी हो।

कोई व्यक्ति पर्वतीय सड़क पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की विशेष लिखित अनुज्ञा के बिना ट्रेलर से जुड़े माल वाहन या भारी वाहन को नहीं चलायेगा।

स्टैण्ड और विराम स्थल –

(1) जिला मजिस्ट्रेट मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 117 के अधीन कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है और वे सम्बन्धित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके नोटिसों के यातायात चिन्हों का सृजन कर सकते हैं :–

(क) किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड में प्रादेशिक क्षेत्र के या ऐसी अन्य सीमा के जिसे परिनिश्चित किया जाय, भीतर ऐसे स्थानों को विनिर्दिष्ट करेगा जहां एक मात्र सार्वजनिक सेवायान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के सार्वजनिक सेवायानों और/या माल वाहनों को अनिश्चित काल के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो विनिर्दिष्ट की जाय, ठहर सकती हो या यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए आवश्यक समय से अधिक समय के लिए सार्वजनिक सेवायान रूक सकता हो, या

(ख) किसी विनिर्दिष्ट स्थान या विनिर्दिष्ट प्रकृति या वर्ग के किसी स्थान का सशर्त या बिना शर्त के स्टैण्ड या विराम स्थल के रूप में प्रयोग किये जाने का प्रतिषेध कर सकता है।

परन्तु यह कि कोई ऐसा स्थान जिस पर किसी का निजी स्वामित्व हो, उसके स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना स्टैण्ड या विराम स्थल के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा।

(2) जब कोई स्थान यातायात चिन्ह या नोटिसों द्वारा विराम स्थल के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया गया हो, तब इस बात के होते हुए भी कि भूमि किसी व्यक्ति के कब्जे में है, उस स्थान को सार्वजनिक स्थान समझा जायेगा और जिला मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान की व्यवस्था या अनुरक्षण करने के लिए जिसमें भवन की व्यवस्था या उसके लिए आवश्यक कार्य का अनुरक्षण करना सम्मिलित है, किसी व्यक्ति के साथ करार कर सकता है या किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकता हैं ऐसे स्थान का संचालन करने के लिए करार या अनुज्ञप्ति को उसकी किसी शर्त का उल्लंघन करने पर तत्काल समाप्त करने के अध्यधीन रहते हुए या अन्यथा नियम बना सकता है, जिसमें निम्नलिखित नियम या निदेश सम्मिलित होंगे।

(क) स्थान का प्रयोग करने वाले सार्वजनिक सेवायान के स्वामियों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस विहित करना और ऐसी फीस की प्राप्ति और उसके निस्तारण की व्यवस्था करना।

(ख) सार्वजनिक सेवायानों या सार्वजनिक सेवा यानों के वर्ग या वर्गों को जो स्थान का उपयोग नहीं करेंगे, विनिर्दिष्ट करना।

(ग) किसी व्यक्ति को स्थान का प्रबन्धक नियुक्त करना और प्रबन्धक की शक्तियों और कर्त्तव्यों की विनिर्दिष्ठ करना।

(घ) यथास्थिति, भूमि के स्वामी या स्थानीय प्राधिकारी से ऐसे आश्रय (शेल्टर), मूत्रालय और शौचालय का परिनिर्माण करने की और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करने की, जो नियम या निदेश में विनिर्दिष्ट किये जाये और उन्हें प्रयोज्य, स्वस्थ और स्वच्छता की दशा में अनुरक्षण करने की अपेक्षा करना।

(ङ) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा या विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा ऐसे स्थान के उपयोग निषिद्ध करना।

(3) ऐसी भूमि पर, जिसे स्टैण्ड या विराम स्थल के रूप में नियत किया गया है, स्वामित्व रखने वाले किसी व्यक्ति से उसकी सहमति के बिना कोई कार्य करने या उसके सम्बन्ध में कोई व्यय करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी और ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जो ऐसे कार्य का कार्यान्वयन करने या ऐसा व्यय करने से इन्कार करे या इसके लिये दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में विफल रहे, सक्षम प्राधिकारी इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे स्थान के उपयोग को प्रतिषिद्ध कर सकता है।

पीछे की ओर यात्रा पर प्रतिबन्ध –

रोड रोलर के मामले को छोड़कर किसी मोटरयान का कोई ड्राइवर पहले स्वयं इस बात से संतुष्ट हुए बिना कि उससे वह किसी व्यक्ति को खतरा या असम्यक असुविधा नहीं कारित करेगा या यान को घुमाने के लिए युक्तियुक्त आवश्यकता से अधिक किसी दूरी या कालावधि के लिए यान को किसी भी परिस्थिति में किसी मोटरयान को पीछे की ओर नहीं जाने देगा।

ओवर टेक करने वाले यानों आदि के बारे में सावधानी –

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–118 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये चालन विनियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त –

(क) किसी मोटरयान का कोई ड्राइवर पीछे से आने वाले किसी मोटरयान के ड्राइवर को संकेत देने के इरादे से कि ऐसा ड्राइवर उसे ओवरटेक कर सकता है तब तक कोई संकेत नहीं देगा जब तक कि उसके सामने की सड़क इस प्रकार बाधा रहित न हो कि ऐसा दूसरा यान बिना खतरे के उसे पार करने में समर्थ हो सके।

(ख) किसी मोटरयान का ड्राइवर उस स्थिति में यान को सड़क के बिल्कुल बांयी तरफ चलायेगा जब किसी पहाड़ या उक्त सड़क में कोई घुमाव होने के कारण से उसके सामने की दृष्टि ऐसे किसी दूरी तक सीमित हो जाय कि उसके विरोधी दिशा में यात्रा करते हुए किसी मोटरयान के सामने आ जाने पर टकरा जाने का खतरा हो।

(ग) किसी मोटरयान का प्रत्येक ड्राइवर यान को गति को धीमा कर देगा और तब तक के लिए धीमी गति से चलायेगा जब तक कि किसी पहुंचने वाले यान से उड़ने वाले गर्द के कारण या किसी अन्य कारण से उसके सामने की दृष्टि अस्पष्ट या सीमित रहे।

सुरक्षा टोप का पहनना –

(1) प्रत्येक व्यक्ति जब वह मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो या उस पर सवार हो नीचे उपनियम (2) में दी गयी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सुरक्षा टोप पहनेगा।

(2) प्रत्येक सुरक्षा टोप –

(एक) भारत मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होगा,

(दो) पर ऐसी रीति से स्थायी और सुपाठ्य लेबिल लगा हो कि लेबिल या लेबिलों की पैडिंग को या कोई अन्य स्थायी सारवान विवरण को यथा –

(क) निर्माता का नाम और पहचान,

(ख) आकार,

(ग) निर्माण का मास और वर्ष, और

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह, हटाये बिना आसानी से पढ़ा जा सके।

(3) कम से कम तीन चिपकाने वाली परावर्तित लाल रंग की पट्टियां जिनका आकार 2 सेन्टीमीटर गुणा 15 सेन्टीमीटर हो क्षेतिज स्तर पर सुरक्षा टोप के पीछे चिपकी हो जो रात्रि के दौरान चमकेगी।

परन्तु यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा :–

(क) किसी मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड पर पिछली सीट पर बैठने वाली प्रत्येक सवारी।

(ख) सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड को चलाने वाला कोई व्यक्ति जो पगड़ी बांधे हो।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए पगड़ी का तात्पर्य 6 मीटर गुणा 82 सेन्टीमीटर के कपड़े से है जिसे कोई व्यक्ति, जब सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड चल रहा हो, अपने सिर के चारों और बांध सकता है।

मोटरयान दुर्घटना के मामलों में निम्नानुसार प्रतिकर देय है :–

(क) त्रुटि के बिना दायित्व – किसी मोटरयान के उपयोग में हुई दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निःशक्तता हुई है तो ऐसे मामले में चाहे यान के चालक/स्वामी का कोई दोष न भी रहा हो, यान के उपयोग के फलस्वरफप मृत व्यक्ति के मामले में उसके आश्रितों को पचास हजार रूपये एवं निःशक्त व्यक्ति को पच्चीस हजार रूपया मोटरयान अधिनियम की धारा–140 के उपबन्धों के अधीन तत्काल देने का वाहन स्वामी का दायित्व है। मृत व्यक्ति के आश्रितों या निःशक्त व्यक्ति द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में वाद दायर करने पर यदि दावा अधिकरण द्वारा अधिक मुआवजा निर्धारित किया जाता है तो यह धनराशि उसमें से कम कर दी जायेगी।

(ख) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष प्रतिकर के लिये आवेदन – मोटर यान के उपयोग से हुई दुर्घटना जिसमें व्यक्ति/व्यक्तियों की मृत्यु हो, या शारीरिक क्षति हुई है, या पर व्यक्ति की किसी सम्पति को नुकसान हुआ है या दोनों क्षति हुई है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे क्षति हुई है; या दुर्घटना में मृतक के आश्रितों द्वारा ; या सम्पति के स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–166 के उपबन्धों के अधीन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष प्रतिकर के लिये दावा किया जा सकता है।

(ग) टक्कर मार कर भागने सम्बन्धी मोटर दुर्घटना के मामलों में प्रतिकर (धारा–161) – अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मृत व्यक्ति के बारे में पच्चीस हजार रूपया एवं घोर उपहति (Grievous hurt) मामले में बारह हजार पांच सौ रूपया प्रतिकर की नियत राशि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–161 के उपबन्धों के साथ पठित सोलसियम स्कीम, 1989 के अधीन देय है। इसके लिये आवेदन उस उपखण्ड के जहां दुर्घटना हुई है, के क्लेम्स इनक्वारी आफिसर यथास्थिति सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के समक्ष सोलेसियम स्कीम–1989 के फार्म–1 में की जा सकती है। क्लेम इनक्वारी आफीसर आवश्यक छानबीन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट क्लेम सेटिलमेन्ट कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट को देगा। जिला मजिस्ट्रेट उस पर विचार कर यथास्थिति क्लेम भुगतान के आदेश जारी करेगा जिनका भुगतान साधारण बीमा निगम के नामित अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

(घ) उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम के अधीन मोटरयान दुर्घटना राहत – किसी सार्वजनिक सेवायान जिसके सम्बन्ध में उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम के अर्न्तगत अतिरिक्त कर का भुगतान किया जा चुका है दुर्घटना ग्रस्त होने पर पीड़ित यात्री, मृत यात्री की दशा में उसके उत्तराधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जिसको ऐसे यान की दुर्घटना से क्षति हुयी हो, राहत पाने के हकदार हैं। राहत की हकदारी एवं उसके वितरण की व्यवस्था, उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम 30 व नियम 31 में निहित हैं।

उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003

उत्तरांचल में संचालित समस्त मोटरयानों से कर एवं अतिरिक्त कर आरोपित करने एवं उसे जमा करने की व्यवस्था उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 एवं उसके अधीन बनायी गयी, उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 में है।

4.प्रवर्तन शाखा

प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मार्ग पर चैकिंग के दौरान चालान/बंद की गयी वाहनों पर कार्यवाही करते हुए मोटरयान अधिनियम में निर्धारित विभिन्न अपराधों के अभियोगों के निस्तारण हेतु प्रशमन शुल्क वसूल कर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) के आवश्यक आदेश प्राप्त करने के उपरान्त वाहन के चालान निस्तारण की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

प्रवर्तन शाखा के कार्य एवं प्रक्रिया :–

1. **प्राप्त चालानों को विभिन्न अभिलेखों में अंकित किया जाना**–प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा प्राप्त चालानों को सर्वप्रथम चालान इंडेक्स रजिस्टर में चढ़ाया जायेगा तथा उसके पश्चात उनको रेडी रैकनर (वाहन के चालान के संबंध में संख्या के अनुसार निस्तारित/अनिस्तारित होने की सूचना अंकित होती है) में चढ़ाया जायेगा (कम्प्यूटरीकृत कार्यालयों को छोड़कर) तत्पश्चात चालानों को क्राइम रजिस्टर में अंकित किया जाता है।

2. **वाहन के चालान के संबंध में आख्या दिया जाना** – वाहनों से संबंधित विभिन्न कार्यों के समय वाहन के चालान के संबंध में मांगी गयी आख्या अभिलेखों के अनुसार दी जाती है।

3 **चालानों के निस्तारण तथा वाहन मुक्त किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत करना** – वाहन स्वामी/प्रतिनिधि के द्वारा वाहन के चालान के निस्तारण/बंद वाहन को मुक्त किये जाने हेतु एक सादे कागज पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा चालान में लगाये गये अभियोगों के संबंध में वैध प्रमाणपत्र/संबंधित कार्यालय की आख्या प्रस्तुत करनी होगी। प्रवर्तन सहायक द्वारा वाहन स्वामी के प्रपत्रों की जांच कर आवेदन पत्र पर अभियोगों के अनुसार प्रपत्रों की वैधता/करों की अदायगी के संबंध में अपनी आख्या अंकित की जायेगी तथा प्रत्येक अभियोग के समक्ष निर्धारित प्रशमन शुल्क लिख दिया जायेगा व तत्पश्चात सक्षम अधिकारी के समक्ष आदेश हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जायेगी। सक्षम अधिकारी के वाहन के चालान के निस्तारण/वाहन मुक्त किये जाने हेतु आदेश होने के पश्चात निर्धारित प्रशमन शुल्क वाहन

स्वामी द्वारा जमा कराये जाने के उपरान्त चालान में लिये गये कागज वाहन स्वामी को लौटा दिये जायेंगे व बंद वाहन को मुक्त किये जाने हेतु संबंधित सहायक द्वारा वाहन मुक्ति आदेश चालान पत्रावली सहित सक्षम अधिकारी के पास हस्ताक्षर हेतु ले जायी जायेगी तथा सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होने के पश्चात वाहन स्वामी/प्रतिनिधि को रिलीज आर्डर दे दिया जायेगा तथा चालान के निस्तारण की सूचना क्राईम रजिस्टर व रेडी रैकनर में अंकित कर दी जायेगी।

4. **न्यायालय को चालान प्रेषित् किये जाने हेतु सूचना पत्र तैयार करना** – प्रवर्तन अधिकारी द्वारा किये गये चालानों को यदि कम से कम 03 माह तक वाहन स्वामियों द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर निस्तारित नहीं करवाया जाता तो न्यायालय को उक्त चालानों के निस्तारण हेतु सूचना पत्र बनाया जायेगा तथा सूचना पत्र में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर न्यायालय भेजे जाने वाले रजिस्टर में चढ़ाकर प्रवर्तन पर्यवेक्षक द्वारा चालानों को न्यायालय प्रेषित् किया जायेगा तथा उक्त सूचना क्राईम रजिस्टर पर अंकित की जायेगी। प्रवर्तन पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिमाह न्यायालय में निस्तारित चालानों के सूचना पत्र संकलित कर उसे एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा प्रवर्तन सहायक द्वारा न्यायालय में निस्तारित चालानों की सूचना क्राईम रजिस्टर तथा रेडी रैकनर में अंकित की जायेगी।

5. **चालक की अनुज्ञप्ति/वाहन का रजिस्ट्रीकरण/परमिट के विरूद्ध संस्तुति किये गये प्रकरणों के संबंध में** – संबंधित सहायक द्वारा चालक अनुज्ञप्ति/वाहन का रजिस्ट्रीकरण/परमिट के विरूद्ध प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर कारण अंकित कर प्रपत्र तैयार कर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा तथा कार्यवाही हेतु संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/परिवहन प्राधिकरण को भेजा जायेगा।

****